भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2003
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली दवाएं

†2003. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिलखुआ (उत्तर प्रदेश) में नकली दवाओं का एक कारखाना जब्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिसार (हरियाणा) में हर्बल कंपनी की आड़ में एल्कोहोल वाली दवाओं का कारोबार पकड़ा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत दो-तीन महीनों के दौरान दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं की बड़ी खेप जब्त की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): दिनांक 26.09.2024 को मैसर्स रुस्तम इंडस्ट्रीज, पिलखुवा, हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245304 की जांच की गई और पाया गया कि यह फर्म नकली दवाइयां बना रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने दवाओं का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया, जिसमें खुली गोलियां, प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर पैकेजिंग सामग्री आदि शामिल हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

राज्य औषधि नियंत्रक, एफडीए हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार एफडीए हरियाणा द्वारा हर्बल कंपनी से हिसार (हरियाणा) में कोई अल्कोहल आधारित दवा जब्त नहीं की गई है। इसके अलावा, सीडीएससीओ ने हिसार (हरियाणा) में हर्बल कंपनी की आड़ में अल्कोहल आधारित दवाओं का कोई कारोबार नहीं पकड़ा है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में बडी मात्राओं जब्ती की गई है। इसके अलावा, विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2024 (सितंबर तक) के लिए दी गई अनंतिम विवरण इस प्रकार है:

वर्ष 2024 (सितंबर तक) में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नशीली दवाओं की जब्ती/मामलों/गिरफ्तारी का विवरण	
मामले	751
गिरफ्तार व्यक्ति	939
जब्त की गई नशीली दवाएं (किलोग्राम में)	3978
जब्त की गई नशीली दवाओं की अनुमानित मात्रा	2,66,02,31,790 (लगभग 266 करोड़)

*****